

अतिक्रमण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गौरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 2.50 कि.मी.) (1.68 है०)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम असगोली चक पातल पटवारी क्षेत्र जैना तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा में चयनित स्थल पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम गौरा, वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

[Signature]
S.E.

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

[Signature]

[Signature]
S.E.

राजस्व सय निरीक्षक
तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

[Signature]
S. D. M.
RANKHET

[Signature]
अल्मोड़ा
रानीखेत

[Signature]
प्रदेशीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

[Signature]
तहसीलदार
रानीखेत (उत्तराखण्ड)
7/9/22

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग

[Signature]
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रारूप-43

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गौरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 2.50 कि.मी.) (1.68 है०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम पटवारी क्षेत्र बिल्लेख तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा की 3.36 है० सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

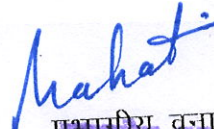

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
(10) रानीखेत


कनिष्ठ अभियन्ता,
अल्मोड़ा वन विभाग


उपप्रमुख
रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा
अल्मोड़ा वन विभाग अल्मोड़ा